

उत्तर प्रदेश सरकार  
कर एवं निबंधन अनुभाग-5  
संख्या : क0नि05-305 / 11-2005.-500(136) / 2003.  
लखनऊ : दिनांक, 19 जनवरी, 2005  
अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क.स.वि. 5-3706 / 11-98-500(20) / 90 दिनांक 31 अगस्त, 1998 का आंशिक उपान्तरण करके इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के पैरा 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. और पैरा 8.3. के खण्ड (क) से (च) में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ-2 में यथा उल्लिखित प्रयोजनों और अन्य विवरणों के लिए निष्पादित उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा दर्शित लिखतों के संबंध में प्रभार्य, इस अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ-3 में यथा दर्शित सीमा तक स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त छूट किसी उद्यमकर्ता के पक्ष में किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए निष्पादित प्रथम लिखत पर ही प्रदान किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट या महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, संबन्धित जिला, ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन के लिए साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेगा कि अन्तरण, उक्त नीति के अधीन निष्पादित किया जा रहा है। इस प्रकार अन्तरित स्थावर सम्पत्ति का उपयोग, उक्त नीति में वर्णित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य की औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 की प्रस्तर संख्या	प्रयोजन व अन्य विवरण	छूट की सीमा	लिखत की प्रकृति तथा अनुसूची एक-ख की अनुच्छेद संख्या
1	2	3	4
4.2.1	(क)-पूर्वान्चल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में नयी लघु या लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23(क)
	(ख)-पूर्वान्चल के 29 जिलों तथा बुन्देलखण्ड के 7 जिलों	आधा	हस्तांतरण अनुच्छेद 23(क)

	में नयी मध्यम या वृहत् औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु।		
	(ग)—राज्य के शेष जिलों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु	आधा	हस्तांतरण अनुच्छेद 23(क)
4.2.2	अवस्थापना सुविधाओं के विकास अर्थात् औद्योगिक आस्थानों की स्थापना, सड़को, पुलो, ओवरब्रिज, थोक बाजारों, ट्रांसशिपमेण्ट केन्द्रो, एकीकृत ट्रांसपोर्ट व व्यवसायिक केन्द्रों, कन्टेनर डिपो, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, जल निकासी, प्रदर्शनी केन्द्रों, वेयर हाउस हेतु भूमि का हस्तांतरण।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23(क)
4.2.3	सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाइयों, कॉल केन्द्र, कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23(क) तथा पट्टा अनुच्छेद 35
8. 2(क)	न्यूनतम 100 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत शासनादेश में यथाविहित चिकित्सा प्रयोजन के लिए उल्लिखित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल से युक्त और सुसंगत शासनादेशों में यथा उपबंधित ऐसी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त बहुविध सुविधा वाले चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35

8.2(ख)	सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त अतिविशिष्टायुक्त चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण,	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(ग)	न्यूनतम 50 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त विकास खण्ड मुख्यालय ( जो जिला व तहसील मुख्यालय से भिन्न हो ) पर स्थापित चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2 (घ)	न्यूनतम 30 बिस्तरों की स्थापित क्षमता से युक्त और सुसंगत शासनादेश में यथाउपबंधित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त (विकास खण्ड मुख्यालय से भिन्न) किसी ग्राम में स्थापित चिकित्सालय के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35
8.2(ड)	विकास खण्ड मुख्यालय (जो जिला मुख्यालय से भिन्न हों) पर स्थापित ऐसे तकनीकी या सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान, जिनमें न्यूनतम 75 छात्र/ प्रशिक्षु हों, और जिसमें चलाया जा रहा पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तांतरण ।	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35

8.2 (च)	ऐसे चिकित्सा व दन्त महाविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था, मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर, शापिंग माल्स व मनोरंजन केन्द्र जिनमें निर्माण व मशीनरी का लागत दस करोड रूपये से कम न हो तथा जिनमें चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 845/5-1-04(28)2002 दिनांक फरवरी 27, 2004 तथा संबधित सरकारी विभागों द्वारा समय समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों में यथाउपबंधित सुविधायें उपलब्ध हों तथा शर्तें पूरी करती हों, के लिए स्थावर सम्पत्ति का हस्तांतरण	पूर्ण	हस्तांतरण अनुच्छेद 23 (क) व पट्टा अनुच्छेद 35
------------	---	-------	---

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,

(क)– पूर्वान्चल के 29 जिलों में फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणासी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बलरामपुर, चन्दौली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, सन्त कबीर नगर, राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ख)– बुन्देलखण्ड के 7 जिलों में झाँसी, जालौन, ललितपुर, बाँदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट के राजस्व जिले सम्मिलित होंगे।

(ग)– राज्य के अवशेष जिलों का तात्पर्य उन जिलों से है, जिनका उल्लेख उपरोक्त खण्ड (क) व (ख) में नहीं है।

आज्ञा से,

( बचित्तर सिंह )  
सचिव।

# UTTAR PRADESH SHASAN

## KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG -5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no.K.N.5-305/11-2005-500 (136)/2003 dated January 19, 2005 for general information.

### Notification Order

No.K.N.5- 305/11-2005-500(136)/2003  
Lucknow, Dated January 19, 2005

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897) , the Governor in partial modification of Government notification no.K.S.V.5-3706/11-98-500(20)/90 dated August 31, 1998 is pleased to remit with effect from the date of its publication of this notification in the Gazette, the stamp duty to the extent as shown in column -3 of Schedule to this notification, chargeable in respect of the instruments as shown in column -4 of the said Schedule , executed for the purposes provided in paragraphs 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 and clauses((a) to (f)) of paragraph 8.2 of the Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004 of the State and for purposes and other details as mentioned in column -2 of the said Schedule . The above exemption shall be granted only on the first instrument executed for the transfer of an immovable property in favour of an entrepreneur. The District Magistrate or General Manager, District Industries Centre of the concerned district shall sign such instrument as a witness for the purpose of confirming the fact that the transfer is being executed under the said policy. The immovable property so transferred shall not be used for a purpose other than the purpose described in the said policy.

### SCHEDULE

Paragraph number of the Industrial and	Purpose and other details	Extent of remission	Nature of instrument
--	---------------------------	---------------------	----------------------

Service Sector Investment Policy, 2004 of the State			and Article number of Schedule I-B
1	2	3	4
4.2.1	(a) For setting up of new Small scale or Tiny industrial units in 29 districts of Purvanchal and in 7 districts of Bundelkhand,	Full	Conveyance Article 23(a)
	(b) For setting up of New Medium or large industrial units in 29 districts of Purvanchal and in 7 districts of Bundelkhand,	Half	Conveyance Article 23(a)
	(c) For setting up of industrial units in rest of the districts of the State,	Half	Conveyance Article 23(a)
4.2.2	Transfer of land for development of infrastructure facilities viz., for establishing Industrial Estates , roads, bridges, overbridges, wholesale market, Transhipment Centre, Integrated Transport and Commercial Centre, Container Depot, Electricity Supply, Water Supply, Water drainage, Exhibition Centres, Warehouse,	Full	Conveyance Article 23(a)
4.2.3	Establishment of Information Technology, Bio-technology, Business	Full	Conveyance Article 23(a) and

	Process Outsourcing units, Call Centres, Agro-Processing units		Lease Article 35
8.2(a)	Transfer of immovable property for such multi-facility Hospital having an established capacity of minimum 100 beds and having an area which is more than the area for medical purpose as prescribed in the relevant Government order and having such medical facilities as provided in the relevant Government order	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35
8.2(b)	Transfer of immovable property for a Super - speciality Hospital having medical facilities as provided in the relevant Government order	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35
8.2(c)	Transfer of immovable property for a Hospital established in a Block Headquarter (which is different from a Tehsil and district headquarter) having an established capacity of minimum 50 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35
8.2(d)	Transfer of immovable property for a Hospital established in a village (which is different from a	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease

	Block Headquarter) having an established capacity of minimum 30 beds and having such medical facilities as provided in the relevant Government order		Article 35
8.2(e)	Transfer of immovable property for a training institute for Technical or Information Technology established in a Block Headquarter (which is different from a District Headquarter) having a minimum of 75 students/trainees and which is running on a syllabus approved by the State Government,	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35
8.2(f)	Transfer of immovable property for a Medical or Dental College or other Educational Institutions, Multiplex cinema hall, Shopping Malls, Entertainment Centres in which the cost of construction and machinery is not less than rupees ten crore and which have such facilities and which fulfil the conditions as have been provided in Government order no.845/5-1-04-(28)/2002 dated February 27, 2004 issued by Medical Section-1, Government of Uttar	Full	Conveyance Article 23(a) and Lease Article 35



	Pradesh and other relevant Government orders issued by the related Government Departments from time to time.		
--	--	--	--

Explanation- For the purposes of this notification –

(a) 29 districts of Purvanchal shall comprise of the revenue districts of Faizabad, Sultanpur, Barabanki, Gonda, Bahraich, Basti, Siddarthnagar, Gorakhpur, Maharajganj, Deoria, Kushinagar, Azamgarh, Mau, Ballia, Varanasi, Ghazipur, Jaunpur, Mirzapur, Sonbhadra, Sant ravidasnagar, Allahabad, Fatehpur, Pratapgarh, Balrampur, Chandauli, Sravasti, Kaushambi, Ambedkarnagar, Sant Kabirnagar,

(b) 7 districts of Bundelkhand shall comprise of the revenue districts of Jhansi, Jalaun, Lalitpur, Banda, Mahoba, Hamirpur, Chitrakoot.

(c) rest of the districts of the State means the districts of the State which are not mentioned in clauses (a) and (b) above.

By order,

(Bachittar Singh)  
Sachiv.